

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)

:: विज्ञप्ति ::

इस न्यायिक स्थापना पर जिला मुख्यालय दतिया पर 06 एवं तहसील सेंवड़ा पर 03 शपथ आयुक्त के पदों की पूर्ति हेतु शपथ आयुक्त नियम 1976 के नियम 3 एवं 4, तत्पश्चात् संशोधित नियमों तथा रजिस्ट्री की ओर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उक्त पदों पर नियुक्ति की जाना है।

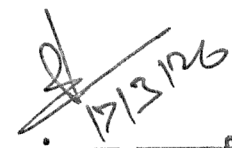
जिला मुख्यालय दतिया पर 06 एवं तहसील सेंवड़ा पर 03 शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण, जो निम्नानुसार अर्हता पूर्ण करते हों, आवेदन कर सकते हैं-

शपथ आयुक्त के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण, जो निम्नानुसार अर्हता पूर्ण करते हों, आवेदन कर सकते हैं-

1. अधिवक्ता को कम से कम 05 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो।
2. उक्त अधिवक्ता म.प्र. राज्य के विधि परिषद् (बार काउंसिल) में पंजीकृत होना चाहिये।
3. आवेदित अधिवक्तागण द्वारा शपथ आयुक्त नियम 1976 के नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-एक में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. आवेदित अधिवक्तागण द्वारा जन्म तिथि, विधि व्यवसाय, रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रतियां सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावे।

अतः इच्छुक अधिवक्तागण समस्त वांछित प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित प्रारूप पर वांछित जानकारीयों की पूर्ति किये जाने के उपरांत आवेदन, अधिसूचना/विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से **15 दिवस की अवधि में** जिला/तहसील अभिभाषक संघ, दतिया/सेंवड़ा के माध्यम से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रारूप-एक।


**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)**

प्रारूप-एक
शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन
(शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 3 के अधीन)

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. पूरा पता
4. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट हो
5. वर्ष जब से विधि व्यवसाय कर रहे हैं
6. क्या पूर्व में भी शपथ आयुक्त नियुक्त किए गए थे? यदि हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण
7. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्त किए गए थे? यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण
8. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाए

दिनांक का दिन

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उक्त विशिष्टियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक का दिन

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

1. आवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की तारीख
2. प्रधान जिला न्यायाधीश की टिप्पणियाँ
3. कोई अन्य विशेष तथ्य जो प्रधान जिला न्यायाधीश की जानकारी में हो

विशेष टिप्पणी :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये, जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2. दिव्यांग आवेदक अपने आवेदन के साथ सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

दिनांक का दिन

स्थान

प्रधान जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुद्रा के साथ